

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक-31/03/16

विषय:-

मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनल निर्माण हेतु
127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:-

अपका पत्रांक-174 दिनांक-10.02.2016

महाशय,

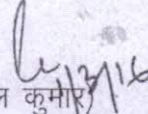
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव

में निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित हैं :-

- (1) प्रस्ताव के साथ संलग्न लागत-लाभ विश्लेषण की प्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Online upload नहीं किया गया है।
- (2) प्रस्तावित वन भूमि 127.85 हे0 हेतु FRA के अंतर्गत विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र तथा इसे निर्गत करने के क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर कर
वांछित प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

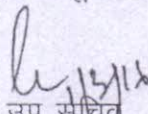
विश्वासभाजन


(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वन भूमि -07/2016 1232

व0प0 दिनांक- 1232

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, औरंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन, पांकी, कैम्प-मेदिनीनगर, पलामू-822101
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

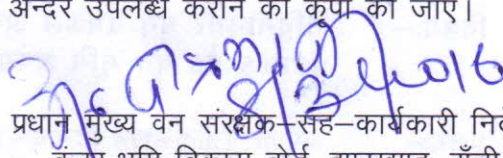

सरकार के उप सचिव

**कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।**

ज्ञापांक - 304

दिनांक - 08/3/16

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदनीनगर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदनीनगर वन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन, पांकी, कैम्प-मेदिनीनगर, पलामू-822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दोनों बिन्दुओं पर त्रुटियों का Online upload करते हुए वांछित प्रतिवेदन इस कार्यालय को 3 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।